

मु.नं. 32/22 सती नन्दू

पत्रावली दिनांक 17-4-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

17-4-25 वार एसो. स्थान
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब द्वारे/अदकाश पर पधारें है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....~~5-6-25~~ को पेश हो

5-6-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उप।
अध्यायी नं- 23 की तलबी हेतु और लाल
यादा लाल डिजा जाकर पत्रावली दिनांक
17-7-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

17-7-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप।
चूंकि मूल वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम
S.C.P.C. में खारिज किया जा चुका है,
अतः उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं होने से जाधी का प्राथमिक
पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल कुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)